राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 12(5) ग्रावि/नरेगा/बजट घोषणा/2010 पार्ट–1 जयपुर, दिनांक : 16.4.2013

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः **माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर, राजस्थान के डी.बी. सिविल याचिका संख्या 3276/2013 पंकज कुमार काकरा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य की स्थगन याचिका संख्या 2567/2013 व अन्य स्थगन याचिकाओं में दिये गये निर्णय दिनांक 05.04.2013 की पालना में अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने के कम में।**

प्रसंगः **इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.12.12 एवं पत्र कमांक एफ 10(9) ग्रावि/नरेगा/ सहायक कार्यकम अधि./2010/पार्ट–1 दि. 31.01.13, समसंख्यक पत्र दि. 15.02.13, 04.03.13, 13.03.13, 28.03.13, 05.04.13 एवं 15.04.13**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर, राजस्थान ने डी.बी. सिविल याचिका संख्या 3276/2013 पंकज कुमार काकरा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य की स्थगन याचिका संख्या 2567/2013 व अन्य स्थगन याचिकाओं में दिनांक 05.04.2013 को दिये गये निर्णय की पालना में शासन सचिव, पंचायती राज विभाग ने दिनांक 12.04.2013 को आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार उक्त याचिका व इसके साथ निर्णित अन्य स्थगन याचिकाओं में शामिल याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ लिपिक पद के लिए ऑफलाईन/ मैन्युअल आवेदन पत्र लेने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त याचिकाओं में शामिल याचिकाकर्ताओं को अनुभव प्रमाण–पत्र भी जारी किया जाना है। इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जाते हैंः–

1. इन याचिकाकर्ताओं को अनुभव प्रमाण–पत्र इस विभाग के समसंख्यक पत्र दि. 26.12.12 की बिन्दु संख्या 1 में वर्णित अधिकारी द्वारा ही जारी किये जाएंगे।
2. इन याचिकाकर्ताओं के बारे में संबंधित सेवा ऐजेन्सी से इनकी सेवा संबंधी समस्त तथ्यात्मक सूचना प्राप्त करें तथा इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में याचिकाकर्ता के संबंध में प्रमाण–पत्र भी प्राप्त करें। इसके बाद ही याचिकाकर्ता द्वारा विभाग में किये गये कार्य के संबंध में अनुभव प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में जारी करने की कार्यवाही की जावे।

3. याचिकाकर्ताओं द्वारा विभाग में कार्य करते हुए इनका कार्य संतोषजनक होने पर ही अनुभव प्रमाण–पत्र जारी किया जावे। इनके द्वारा विभाग में कार्य करने की अवधि में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, गबन, अनुशासनहीनता या आपराधिक कृत्य करने पर इनके कार्य को संतोषजनक नहीं माना जावे।
4. इनका अनुभव प्रमाण–पत्र उपरोक्त डी.बी. सिविल याचिका संख्या 3276/2013 एवं अन्य याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।
5. अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने की कार्यवाही सात दिवस के भीतर की जावे।

भवदीय,

संलग्नः– प्रारूप

(सी.एस. राजन)
अति. मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2 निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
3 निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि इसी अनुसार दोनो अनुभव प्रमाण–पत्र ऑनलाईन आवेदन में अपलोड कराने की व्यवस्था भी करावें।
4 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5 अति. आयुक्त प्रथम/द्वितीय, ईजीएस जयपुर।
6 परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस जयपुर।
7 वित्तीय सलाहकार, ईजीएस, जयपुर।
8 अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9 रक्षित पत्रावली।

अति. आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला ....

क्रमांक दिनांक :

अनुभव प्रमाण–पत्र
(सेवा ऐजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के लिए)

सेवा ऐजेन्सी .... के द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... की सेवाएं .... (पदनाम) हेतु .... सेवा ऐजेन्सी द्वारा अनुबन्ध के आधार पर उपलब्ध करवाई गई है। इन्होंने महात्मा गांधी नरेगा योजना में दिनांक .... से .... तक (कुल अवधि .... वर्ष........ माह .... दिन ....) ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद .... में कार्य किया है। इस अवधि के दौरान इनका कार्य संतोषजनक रहा है। इस अवधि में इनके विरूद्ध कोई वित्तीय अनियमितता, गबन एवं अनुशासनहीनता का प्रकरण नहीं पाया गया है और न ही विचाराधीन है। इस अवधि में इनके विरूद्ध कार्य संबंधी कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही इन्हें ऐसे किसी आपराधिक कृत्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा सजा दी गई है। यह प्रमाण–पत्र डी.बी. सिविल याचिका संख्या 3276/2013 पंकज कुमार काकरा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।

दिनांक :

(हस्ताक्षर)
जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
या
उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी

सेवा ऐजेन्सी का नाम ....

क्रमांक   दिनांक :

<u>अनुभव प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि हमारी सेवा ऐजेन्सी .... एक पंजीकृत संस्था है। जिसके पंजीयन नं. .... हैं। हमारी सेवा ऐजेन्सी .... एवं .... मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ..../ विकास अधिकारी, पंचायत समिति .... के मध्य अनुबंध के आधार पर कार्मिकों की सेवाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में एक अनुबंध दिनांक .... को किया गया है। इस अनुबंध एवं सेवा ऐजेन्सी के रिकॉर्ड के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... की सेवाएं .... (पदनाम) हेतु .... सेवा ऐजेन्सी द्वारा अनुबन्ध के आधार पर उपलब्ध करवाई गई है। इन्होंने महात्मा गांधी नरेगा योजना में दिनांक .... से .... तक (कुल अवधि .... वर्ष........ माह .... दिन ....) ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद .... में कार्य किया है। इसके लिए श्री/सुश्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... को प्रतिमाह रू. .... कुल रू. .... का भुगतान सेवा ऐजेन्सी द्वारा किया गया है। इस अवधि में इनके द्वारा कोई वित्तीय अनियमितता, गबन एवं अनुशासनहीनता करने के संबंध में कोई सूचना संबंधित कार्यालय से प्राप्त नहीं हुई है। इस अवधि में इनके विरूद्ध कार्य संबंधी कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही इन्हें ऐसे किसी आपराधिक कृत्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा सजा दी गई है।

दिनांक :

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष/सचिव
.... (सेवा ऐजेन्सी का नाम)